

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

बलविन्द सिंह बनाम मिटू सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88,53, 91 आरटीए मुकदमा नं. 30/2020

निर्णय दिनांक :- 19.10.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री युधिष्ठिर सिंह सैनी, रामदास सौलकी पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 91ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत घोषणा व खाता तकसीम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 मिटू सिंह के नाम दर्ज चक 24 ओ के खाता संख्या 111/107 में 4.478 हेक्टेयर, चक 21 ओ के खाता संख्या 42/40 में 3.694 हेक्टेयर एवं चक 22 ओ बी के खाता संख्या 51/50 में 1.012 हेक्टेयर व खाता संख्या 50 में 4.15 बीघा कुल 45.05 बीघा भूमि में 5.707 हेक्टेयर भूमि में से वादी बलविन्द सिंह को 1/5 हिस्सा यानि 1.141 हेक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा वादी के हिस्सा की 1.141 हेक्टेयर भूमि का कब्जा वादी को दिए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 18.10.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर मुकाम श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प अरजी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
स्टाम्प अरजी	04	00	योग	04	00



क्रमांक: रीडर/ 2022/532

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर मुकाम श्रीकरणपुर

दिनांक: 19.10.2022

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर मुकाम श्रीकरणपुर